111

126

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), BIHAR (LOCAL AUDIT WING), PATNA-800001

No. L.A.-Sur.- 14232/229 **Date:** 07/09/2011

DS(R)

9.9.11

To

The Principal Secretary to the Government of Bihar,
Urban Development and Housing Department
Vikas Bhawan, Beli Road,
Patna.

09 SEP 2011

Sir,

Audit Report No **147/11-12** on the accounts of **Nagar Panchayat, Sherghati** f for the period **2007-2008 to 2009-10** is enclosed for your kind information and necessary action.

Yours Sincerely,

Encl: - As above

7/9/11
Sr. Audit Officer/Surcharge
Local Audit Wing,
Bihar, Patna

1268
14/9/11

(i) कोषागार पासबुक	अनुपलब्ध
(ii) बैंक ऑफ बड़ौदा शेरघाटी चालू खाता सं0 0110200000189	₹ 15,90,078.70
(iii) बैंक ऑफ बड़ौदा शेरघाटी बचत खाता सं0 0110100003158	₹ 2,68,450.00
भारतीय स्टेट बैंक शेरघाटी खाता सं0 11467797321	₹ 6,05,259.15
	₹ 24,63,787.85
अंतरः–	₹ 81,05,323.08

कोषागार से पासबुक प्राप्त करने हेतु प्रभावी कदम उठावें। पासबुक प्राप्त होने पर रोकड़ बही के संवरण शेष एवं बैंक खाताओं एवं कोषागार पासबुक के संवरण शेष के साथ अंतर का समाधान कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

7. **अनुदानः–**

अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गा था। अनुदान पंजी संधारित न होने से प्राप्त अनुदान के विरूद्ध कितना व्यय हुआ यह ज्ञात न हो सका। रोकड़बही के अनुसार वर्ष 2007–08 से वर्ष 2009–10 तक में प्राप्त अनुदान की राशि निम्नवत् है।

कमांक	वर्ष	राशि (₹में)
1	2007–08	28,99,090
2	2008–09	97,45,920
3	2009–10	60,49,484

(विस्तृत विवरणी पिरिशिष्ट – **II** पर है।)

विहित प्रपत्र में सरकारी अनुदान पंजी का संधारण कर उपरवर्णित अनुदानों की प्रविष्टि की जाय तथा अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

8. **पुनरीक्षित कर निर्धारणः–**

अधिसूचित क्षेत्र समिति शेरघाटी का गठन 8 मार्च 1975 में हुआ था। यह अधिसूचित क्षेत्र समिति संघ समिति से बनाया गया था। संघ समिति के द्वारा जो गृहादि कर निर्धारित किया गया वही मूल्यांकन एवं कर की राशि अभी तक चालु है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 1922 की धारा 106 के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष में कर पुनरीक्षण करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 की उपधारा 4 (i), 6, 7 एवं 8 के अनुसार होल्डीगों की अवस्थिति के अनुसार करारोपण का प्रावधान हैः–

वर्गीकरण कर वार्षिक किराया मूल्य कर पुनरीक्षण हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय ताकि नगर पंचायत को राजस्व की हानि न हो।

9. **शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर को संबंधित कोष में अन्तरण नहीं किया गया।**

बिहार सरकार के निदेशानुसार नगरपालिका, नगर निगम एवं अधिसूचित क्षेत्र समिति को शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली गृह कर निर्धारित दर के अनुसार करना है। गृह कर के संगृहित राशि पर 10 प्रतिशत सेवा प्रभार के रूप में कटौती कर शेष राशि को राज्य सरकार के संचित निधि के अंतर्गत संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा करना था। लेकिन अंकेक्षण के कम में ज्ञात हुआ कि संगृहित शिक्षा उपकर एंव स्वास्थ्य उपकर को संचित निधि में जमा नहीं किया गया था। संगृहित शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर का ब्यौरा नीचे हैः–

वर्ष – 2008–09

कम सं0	विवरण	वर्ष 2008–09 (₹में)
1	प्रारंभिक शेष :	52,06,988.47
2	प्राप्ति	1,19,65,005.80
3	योग	1,71,71,994.27
4	भुगतान/व्यय	48,92,076.61
5	संवरण शेष:	1,22,79,917.66

उपरोक्त वर्षो के तहत आय एवं व्यय को शीर्षवार परिशिष्ट I स में दशीया गया है।

वर्ष – 2009–10

कम सं0	विवरण	वर्ष 2009–10 (₹में)
1	प्रारंभिक शेष दिनांक 01.04.09	1,22,79,917.66
2	प्राप्ति	55,45,953.70
3	योग	1,78,25,871.36
4	भुगतान/व्यय	72,56,760.43
5	संवरण शेष 31.03.10	1,05,69,110.93

उपरोक्त वर्ष के आय एवं व्यय को शीर्ष वार परिशिष्ट I द में दर्शाया गया है।

6. पी0एल0 लेखा से संबंधित लेखापाल रोकड़बही:–

लेखापाल रोकड़बही का संधारण भलीभांति नहीं किया गया था। वैट एवं स्वामित्व की राशि को बिना भुगतान किये ही रोकड़ बही के व्यय पक्ष में अंकित कर दिया गया था एवं व्यय की राशि में जोड़ दिया गया था। ऐसा करने से रोकड़बही का संवरण कम हो जाता है। प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ बही के शेष को बैंक खातो एवं ट्रेजरी पासबुक के संवरण शेषो के साथ समाधान नहीं किया गया था। 12वीं वित्त आयोग अनुशंसित अनुदान के लेखाओं का अलग से संधारण नहीं किया गया था। इसे पी0एल0 लेखा के रोकड़बही में ही अंकित किया गया था। पी0एल0 लेखा का संव्यवहार ट्रेजरी से करना चाहिए था, लेकिन इसका संव्यवहार ट्रेजरी, बैंक ऑफ इंडिया एंव भारतीय स्टेट बैंक से किया गया था।

भारतीय स्टेट बैंक खाता सं0 11462797321 का स्टेटमेन्ट दिनांक 01.04.07 से दिनांक 28.11.07 तक अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था। इस अवधि की जमा एवं निकास की जॉच न हो सकी।

ट्रेजरी पासबुक नगर पंचायत, शेरघाटी में उपलब्ध नहीं था। ट्रेजरी पास बुक के अभाव में वर्ष 2007–08 से वर्ष 2009–10 तक की जमा राशि एवं निकासी राशि की जॉच न हो सकी।

भारतीय स्टेट बैंक का बैंक स्टेटमन्ट दिनांक 01.04.07 से दिनांक 28.11.07 तक एवं ट्रेजरी पासबुक वर्ष 2007–08 से वर्ष 2009–10 तक अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया। अतः गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

6. (i) पी0एल0 लेखा का लेखापाल रोकड़बही:–

रोकड़बही का संवरण शेष दिनांक 31.03.10 को	₹ 1,05,69,110.93
बैंक खाताओं/ट्रेजरी पासबुक का संवरण शेष दिनांक 31.03.10 को	

125

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या:– 147/2011–12
नगर पंचायत, शेरघाटी
वर्ष 2007–08 से वर्ष 2009–10

1. **प्रस्तावना :–**

नगर पंचायत, शेरघाटी के वित्तीय वर्ष 2007–08 से वर्ष 2009–10 तक के लेखाओं का नमूना जॉच प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना के स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा के एक अंकेक्षण दल द्वारा दिनांक 14.02.11 से दिनांक 22.02.2011 की अवधि में किया गया:–

2. **प्रशासनिक पदाधिकारियों का नाम :–**

क0 सं0	कार्यपालक पदाधिकारी	कार्य अवधि
(i)	श्री रमेश चन्द्र चौधरी	दिनांक 01.04.07 से दिनांक 28.08.07 तक
(ii)	श्री अर्जुन रविदास	दिनांक 28.08.07 से दिनांक 29.05.09 तक
(iii)	श्री कुमार रामानुज	दिनांक 30.05.09 से दिनांक 31.03.10 तक

क0 सं0	अध्यक्ष /अध्यक्षा	अवधि
(i)	श्री जयन्त कुमार सिंह	दिनांक 01.04.07 से दिनांक 08.06.07 तक
(ii)	श्री चनारिक पासवान	दिनांक 09.06.07 से दिनांक 20.08.09 तक
(iii)	श्री शकील खां	दिनांक 21.08.09 से दिनांक 09.09.09 तक
(iv)	श्रीमती संगीता देवी	10.09.2009 से दिनांक 31.03.10 तक

क0 सं0	उपाध्यक्ष	अवधि
(i)	श्री राम लखन पासवान	दिनांक 01.04.07 से दिनांक 08.06.07 तक
(ii)	श्री शकील खॉ	दिनांक 09.06.07 से दिनांक 31.03.10 तक

2 क 3. **अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र:–**

जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित किया गया था उसे परिशिष्ट–I एवं जिन अभिलेखों एवं पंजियों का न तो संधारण किया गया था और न ही उपस्थापित अंकेक्षण में किया गया था उसे परिशिष्ट I अ में दर्शाया गया है।

3 4. **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति:–**

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नवत् है:–

124

क्रमांक	अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या	अवधि	बकाया कंडिका	निस्तारित	शेष बकाया कंडिका
1	201/77–78	1974–75 से 76–77	17	–	17
2	244/78–79	1977–78	20	–	20
3	94/91–92	1986–87से 90–91	31	–	31
4	92/97–98	1991–92 से 96–97	44	–	10
5	69/2003–04	1997–98 से 2002–03	16	–	16
6	406/2007–08	2003–04 से 2006–07	34	–	34

स्थानीय निकाय द्वारा बकाया कंडिकाओं का निस्तारण हेतु अंकेक्षण क्रम में प्रयास नहीं किया। अनुपालन प्रतिवेदन उपरोक्त कंडिकाओं के निस्तारण हेतु प्रस्तुत नहीं किया। लगातार अंकेक्षण प्रतिवेदनों में अनुपालन प्रतिवेदन हेतु अनुरोध किया गया था। लेकिन इसका परिणाम निस्फल रहा। नगर पंचायत के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि लेखापरीक्षा में संनिहित कंडिकाओं का अनुपाल सुनिश्चित कराने हेतु अविलम्ब कार्रवाई करेंगें एवं अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर निष्पादन हेतु स्थानीय लेखापरीक्षा बिहार, पटना कार्यालय को प्रेषित करेगे।

4. अंकेक्षण की मुख्य उपलब्धियॉः–

क्रमांक	विवरण	संदर्भित कंडिका
1	बकाया दुकान किराया की राशि ₹20,77,314	13
2	बंदोबस्ती की राशि 85 दिनो तक संग्रह न करने से ₹1,78,407 की हानि	17
3	दैनिक मजदूर पर ₹13,05,929 का भुगतान	19
4	6 अपूर्ण योजनाओं पर अग्रिम ₹1,40,000 की वसूली का सुझाव	20
5	12वी वित्त आयोग की अपूर्ण योजनाओं पर अग्रिम की राशि ₹1,24,254 की वसूली का सुझाव	21
6	राज्य सरकार के अनुदान के तहत अपूर्ण योजनाओं पर अग्रिम ₹4,82,542	22
7	वर्ष 2006–07 का अपूर्ण योजनाओं पर ₹7,48,434 की वसूली का सुझाव	24

5. पी०एल० लेखा के अनुसार नगर पंचायत शेरघाटी की वित्तीय स्थितिः–

पी०एल० लेखा रोकड़बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2007–08 से वर्ष 2009–10 तक की वित्तीय स्थिति निम्न है।

वर्ष – 2007–08

क्रम सं०	विवरण	वर्ष 2007–08 (₹में)
1	प्रारंभिक शेष दिनांक 01.04.07	37,04,930.51
2	प्राप्ति	45,32,452.10
3	योग	82,37,382.61
4	भुगतान/व्यय	30,30,394.14
5	संवरण शेष 31.03.08	52,06,988.47

कमांक	वर्ष	शिक्षा उपकर (₹में)	स्वास्थ्य उपकर (₹में)
1	2007–08	7190.00	8989.00
2	2008–09	4319.00	5398.00
3	2009–10	4123.00	5157.00
	योग –	15,632	19,544.00
	सेवा प्रभार 10%	1,563	1954.00
संचित निधि में जमा करना था		14,069	17,590.00

अतः शिक्षा उपकर की राशि ₹14069.00 एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि ₹17590 को राज्य सरकार के संचित निधि के तहत संबंधित राजस्व शीर्ष में अविलम्ब जमा कराया जाय।

10. शिक्षा उपकर की कम वसूली:–

बिहार सरकार के निदेशानुसार शिक्षा उपकर की वसूली गृह कर की राशि पर 50 प्रतिशत करनी थी। लेकिन अंकेक्षण कम में पाया गया कि शिक्षा उपकर की वसूली 50 प्रतिशत की दर से गृहकर संगृहीत राशि पर नहीं किया गया था। जिसके फलस्वरूप ₹3912 की कम वसूली हुई जिसका ब्यौरा नीचे है:–

कमांक	वर्ष	गृह कर की संगृहीत राशि (₹में)	वसूलनीय राशि (₹में)	वसूली गयी राशि (₹में)	अंतर (₹में)
1	2007–08	17977	8989	7190	1799
2	2008–09	10796	5398	4319	1079
3	2009–10	10315	5157	4123	1034
				योग –	3912.00

शिक्षा उपकर के रूप में कम वसूली गयी ₹3912 को संबंधित करदाताओं से वसूलने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाय। वसूली उपरांत 10 प्रतिशत सेवा प्रभार की कटौती कर शेष राशि को संचित निधि के संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा कर देगे।

11. कम राशि जमा किया गया:–

रोकड़पाल की रोकड़बही के अंकेक्षण से ज्ञात हुआ कि रोकड़पाल ₹27915 दिनांक 20.03.08 को संगृहित किया। बैंक विवरणी में ₹27,615 जमा अंकित था। अतः ₹300 कम जमा रोकड़पाल द्वारा किया गया था। अंकेक्षण ज्ञापांक 11/एन0के0वाई दिनांक 18.02.11 के द्वारा ₹300 जमा न होने का उल्लेख किए जाने के पश्चात उक्त राशि को चालान सं0 538706 दिनांक 22.02.11 द्वारा श्री नरेश प्रसाद, रोकड़पाल के द्वारा जमा करा दिया गया।

12. दुकान किराया की वसूली गयी राशि अति विलम्ब से जमा:–

अंकेक्षण के कम में ज्ञात हुआ कि श्री देवेन्द्र पाण्डे कर दारोगा द्वारा दुकान किराया की वसूली से प्राप्त राशि को 10 महीना से 12 महीना विलम्ब से जमा किया गया जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:–

कमांक	विविध रसीद सं0 एवं तिथि	संगृहित राशि ₹ में	रोकड़पाल के पास जमा करने की तिथि
1	48523/28.02.07 से 48559 / 02.05.07	74530.00	06.05.08
2	48560 से 48600 दिनांक 04.05.07 से 27.04.08	72170.00	10.05.08
3	48408 से 48431 दिनांक 25.04.07 से 13.07.07	30821	10.05.08

120

दुकान किराया संग्रह की जांच न होने के कारण श्री देवेन्द्र पांडे कर दारोगा द्वारा अति विलम्ब से संगृहित राशि जमा किया गया जो कि एक प्रकार का अस्थायी गबन है।

अतः नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि संग्रह लेखा (Collection account) पर सतत ध्यान रखें ताकि संगृहित राशि समय पर जमा हो सके।

13. बकाया दुकान किरायाः–

दुकान किराया मांग पंजी का संधारण भली भांति नहीं किया गया था। जिसमें किराया दर, किराया का संशोधित दर, बकाया राशि आदि अंकित नहीं था। दिनांक 31.03.07 के पूर्व का मांग एवं वसूली पंजी अंकेक्षण में नहीं दिया गया जिससे बकाया राशि किराया दर आदि की जांच नये मांग एवं वसूली पंजी से नहीं की जा सकी।

पार्क के समीप स्थित दुकानों की मांग एवं वसूली पंजी की जांच से ज्ञात हुआ कि वसूली गयी राशि की अवधि अंकित नहीं थी। मांग एवं वसूली पंजी को अधूरा पाया गया संचिका से ज्ञात हुआ कि कुछेक दुकाने विवादग्रस्त या रद्द कर दिये गये। कार्यपालक पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर विवादग्रस्त दुकानो एवं रद्द दुकानों को किराया पर आवंटित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें जिससे नगरपंचायत को राजस्व की हानि न हो। सभी दुकानों का सर्वेक्षण कराया जाय एवं किराया का दर फर्श क्षेत्रफल/वर्गफीट के आधार पर निर्धारित किया जाय।

नगर पंचायत शेरघाटी द्वारा समर्पित विवणी के अनुसार बकाया दुकान किराया के रूप में ₹ 20,77,314 दिनांक 31.03.10 तक बकाया था। जिसे वसूलने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाय।

(परिशिष्ट III में संदर्भित)।

14. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का रोकड़बहीः–

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का रोकड़बही का भलीभांति संधारण नहीं किया गया था। बिना भुगतान किये ही वैट एवं स्वामित्व की राशि को रोकड़ बही के व्यय पक्ष में अंकित कर योग में लिया गया था परिणाम स्वरूप रोकड़बही में संवरण शेष कम हो गया था। रोकड़बही एवं बैंक खाता के संवरण शेष का प्रत्येक माह के अंत में समाधान नहीं किया गया था।

रोकड़बही का संवरण शेष दिनांक 31.03.10 को	₹2,73,687.00
वैट की राशि – ₹ 23982 स्वामित्व की राशि – ₹ 32789 कुल राशि– ₹ 56771	(+) ₹ 56,771.00
वास्तविक रोकड़बही का संवरण शेष	₹ 3,30,458.00
बैंक खाता का संवरण शेष भारतीय स्टेट बैंक शेरघाटी खाता सं0 11467833644	₹ 3,30,458.69

रोकड़बही में बिना भुगतान किये हुए वैट की राशि एवं स्वामित्व की राशि को व्ययपक्ष में अंकित नहीं किया जाय तथा रोकड़बही के संवरण शेष में अपेक्षित सुधार किया जाय।

14. (i) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की वित्तीय स्थिति :–

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की वित्तीय स्थिति वर्ष 2007–08, वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 की निम्नवत् हैः–

<u>वर्ष – 2007–08</u>

क्रम सं0	विवरण	वर्ष 2007–08 (₹में)
1	प्रारंभिक शेष दिनांक 01.04.07	3,29,766.58
2	**प्राप्ति**	73,887.11
3	योग	4,03,653.69
4	भुगतान	5121.00
5	संवरण शेष 31.03.08	3,98,532.69

वर्ष – 2008–09

क्रम सं0	विवरण	वर्ष 2008–09 (₹में)
1	प्रारंभिक शेष :01.04.08	3,98,532.69
2	**प्राप्ति**	–
3	**व्याज**	13,789.00
4	योग	4,12,321.69
5	भुगतान	1,49,961.00
6	संवरण शेष:31.03.09	2,62,360.69

वर्ष – 2009–10

क्रम सं0	विवरण	वर्ष 2009–10 (₹में)
1	प्रारंभिक शेष दिनांक 01.04.09	2,62,360.69
2	**प्राप्ति**	शून्य
3	**व्याज**	11,327.00
4	योग	2,73,687.69
5	भुगतान	शून्य
6	संवरण शेष 31.03.10	2,73,687.69

15. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि रोकड़बही:–

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि रोकड़बही का संधारण भली भांति नहीं किया गया था। प्रत्येक माह के अंत में रोकड़बही के संवरण शेष एवं बैंक खाता के संवरण शेष का समाधान नहीं किया गया थां

वैट की राशि को बिना भुगतान किये ही रोकड़बही के भुगतान पक्ष में अंकित कर दिया जाता था जिससे रोकड़बही संवरण शेष कम हो जाता था:–

संवरण शेष रोकड़बही के अनुसार	₹ 37,05,915.00
वैट की राशि व्यय पक्ष में दर्शाया गया था जिसका भुगतान नहीं हुआ था।	(+) ₹ 12,853.00
वास्तविक संवरण शेष	₹ 37,18,768.00
बैंक लेखा का संवरण शेष पंजाब नेशनल बैंक शेरघाटी लेखा सं0 1686000100061764	₹ 37,18,768.00

बिना भुगतान किये वैट की राशि एवं स्वामित्व राशि को व्यय पक्ष में अंकित नहीं किया जाय तथा रोकड़बही में अपेक्षित सुधार किया जाय।

15. (i) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की वित्तीय स्थिति:–

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है:–

1	प्रारंभिक शेष :01.04.08	शून्य
2	**प्राप्ति**	₹17,34,816.00
3	**व्याज**	₹41,828.00

(118

4	योग	₹18,26,644.00
5	भुगतान	शून्य
6	संवरण शेषः31.03.09	₹18,26,644.00

वर्ष – 2009–10

कम सं0	विवरण	वर्ष 2009–10 (₹में)
1	प्रारंभिक शेषः	18,26,644.00
2	**प्राप्ति**	28,44,621.00
3	**व्याज**	70,327.00
4	योग	47,41,592.00
5	भुगतान	10,35,677.00
6	संवरण शेष 31.03.10	37,05,915.00

16. कबीर अंत्येष्टि अनुदान निधि की वित्तीय स्थितिः–

कबीर अन्त्येष्टि अनुदान निधि का वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 की वित्तीय स्थिति निम्न हैः–

वर्ष – 2008–09

कम सं0	विवरण	वर्ष 2008–09 (₹में)
1	प्रारंभिक शेष :	शून्य
2	**प्राप्ति**	90,000.00
3	**व्याज**	1,280.70
4	योग	91,280.70
5	भुगतान	46,550.00
6	संवरण शेषः31.03.09	44,730.70

वर्ष – 2009–10

कम सं0	विवरण	वर्ष 2009–10 (₹में)
1	प्रारंभिक शेषः	44,730.70
2	**प्राप्ति**	1,05,000.00
3	**व्याज**	182.00
4	योग	1,49,912.00
5	भुगतान	64,500.00
6	संवरण शेष 31.03.10	85,412.70

17. बंदोबस्तीः–

प्राइवेट बस स्टैण्ड का वर्ष 2007–08 के लिए बंदोबस्ती 7,66,100 में श्री एहतेजाम जौहर के साथ किया गया था। प्रमंडल आयुक्त सह अध्यक्ष, मगध प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार पत्रांक 354 दिनांक 12.10.07 के द्वारा संग्रह पर रोक लगा दिया था क्योंकि वाहनों से नाजायज राशि लिया जाता था। पुनः नगर पंचायत के प्रयास से आयुक्त द्वारा पत्रांक 44/रा0गया दिनांक 04.01.08 के द्वारा संग्रह करने का आदेश दिया गया था।

12.10.07 से 04.01.08 की अवधि 85 दिनों हेतु वसूली कार्य वाधित रहा तथा उक्त अवधि के लिए बंदोवस्तधारी की बंदोबस्ती राशि कम करते हुए ₹587693 तय कर दिया गया फलतः 85 दिनों की बंदोबस्ती की राशि कुल ₹178407 की हानि नगर पंचायत को उठानी पड़ी। नगर पंचायत द्वारा उक्त 85 दिनों की अवधि के लिए विभागीय वसूली किया जा सकता था जो नहीं कराया गया।

अतः उक्त 85 दिनों तक विभागीय संग्रह न कराने के कारण ₹1,78,407 की हुई हानि को इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली जाय।

17. (i) शौचालय की बंदोबस्ती की राशि बकायाः—

प्राइवेट बस स्टैण्ड के अन्तर्गत शौचालय की बंदोबस्ती वर्ष 2007–08 के लिए ₹19351 पर श्री राज जय सिंह के साथ किया गया था। श्री सिंह के द्वारा 13,000 जमा किया गया था जिसका ब्यौरा निम्नवत् हैः—

(i)	रसीद संख्या 48732 दिनांक 16.03.07	₹1911.00
(ii)	रसीद संख्या 48781 दिनांक 30.03.07	₹8089.00
(iii)	रसीद संख्या 49771 दिनांक 05.06.07	₹3,000.00
	कुल –	₹13,000.00

शेष राशि ₹ 6,351.00 (₹19,351 – ₹13,000) जमा नहीं किया गया था। अतः ₹6351 की वसूली श्री राज जय सिंह से कर नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाय।

18. निरस्तः—

19. दैनिक मजदूर की नियुक्तिः—

बिहार सरकार के निदेशानुसार दैनिक मजदूरी पर नियुक्ति नहीं करनी है। अंकेक्षण के कम में ज्ञात हुआ कि वर्ष 2007–08, वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में दैनिक मजदूरी पर ₹13,05,929.00 का भुगतान किया गया था जिसका विवरण अगले पृष्ठ हैः—

कमांक	**वर्ष**	**राशि (₹में)**
1	2007–08	3,55,831.00
2	2008–09	3,44,512.00
3	2009–10	6,05,586.00
	योग–	**13,05,929.00**

(विस्तृत वर्णन परिशिष्ट IV में दर्शाया गया है।)

उपरोक्त भुगतान को नियमित करने हेतु बिहार सरकार के नगर विकास विभाग से स्वीकृति मांगी जाय।

बिहार सरकार के नगर विकास विभाग की स्वीकृति लंबित रहने तक किये गये भुगतान की कुल राशि ₹13,05,929.00 को अंकेक्षण आपत्ति में रखी जाती है।

20. निजी आय से ली गई योजनाओं की स्थितिः—

नगर पंचायत शेरघाटी निज आय से 20 योजनाओं का कियान्वयन वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में कराया था जिनसे 12 योजनाएँ अपूर्ण थी जिसका सार निम्न है। (परिशिष्ट V में है)

116

कमांक	योजना सं0 एवं वर्ष	प्रा0 राशि	मापी की राशि (₹में)	भुगतान	अभिकर्त्ता का नाम
1	01/2008–09	72,100	27,734	42,500	श्री शिव शरण प्र0
2	02/2008–09	78,700	61,832	61,180	श्री राम स्वरूप दास
3	03/2008–09	50,900	23,056	32,500	श्री शिव शरण प्र0
4	05/2008–09	70,000	–	32,500	श्री राम स्वरूप दास
5	08/2008–09	35,000	–	17,500	श्री शिव शरण प्र0
6	09/2008–09	30,900	18,402	27,500	श्री शिव शरण प्र0
7	10/2008–09	63,300	–	47,500	श्री देवेन्द्र पांडेय
8	11/2008–09	13,900	–	7,500	श्री देवेन्द्र पांडेय
9	15/2008–09	24,700	14,479	17,500	श्री राम स्वरूप दास
10	16/2008–09	41,500	–	17,500	श्री शिव शरण प्र0
11	17/2008–09	33,100	–	17,500	श्री शिव शरण प्र0
12	18/2008–09	95,000	32,183	57,500	श्री शिव शरण प्र0
		कुल–	**1,77,686**	**3,78,680**	

12 योजनाओं को अपूर्ण दर्शाया गया है जिसके विरूद्ध ₹3,78,680.00 अग्रिम दिया गया था। 12 अपूर्ण योजनाओं में 6 योजनाओं का कियान्वयन नहीं किया गया था। जैसा कि स्थानीय निकाय द्वारा समर्पित विवरणी से ज्ञात होता है एकार नाम प्रपत्र की कंडिका 7 में अंकित है कि अधूरा कार्य छोड़ने पर भुगतान की हुई अभिकर्त्ता से वसूलनीय है। इस 6 योजनाओं के तहत ₹1,40,000 अग्रिम दिया गया था जिसे निम्न व्यक्तियों से वसूली जाय।

कमांक	योजना सं0 एवं वर्ष	अग्रिम राशि (₹में)	अभिकर्त्ता का नाम
1	05/2008–09	32,500	श्री राम स्वरूप दास
2	10/2008–09	47,500	श्री देवेन्द्र पांडेय
3	11/2008–09	7,500	
		55,000	
4	08/2008–09	17,500	श्री शिव शरण प्र0
5	16/2008–09	17,500	
6	17/2008–09	17,500	
		52,500	
	कल योग–	**1,40,000**	

6 अपूर्ण कार्यो को या तो पूर्ण किया जाय अग्रिमों की वसूली की जाय जिसके विरूद्ध 2,38,680 अग्रिम लंबित है। (₹3,78,680–₹1,40,000)।

21. 12वीं वित्त आयोग के तहत योजना की स्थितिः–

12वीं वित्त आयोग के तहत दो योजनाएँ वर्ष 2007–08 में ली गयी थी जिसका विवरण नीचे हैः–

कमांक	योजना सं0 / वर्ष	विवरण	प्रा0 राशि (₹में)	मापी	अग्रिम
1	01/2007–08	40 डस्टवीन निर्माण	3,52,000	1,33,206	1,50,000
2	02/2007–08	नाली एवं रोड निर्माण	4,32,000	–	1,07,500

उपरोक्त दोनो योजनाएँ अपूर्ण थी। एक योजना का कियान्वयन ही नहीं किया गया था।

(परिशिष्ट VI में संदर्भित)

श्री देवेन्द्र पांडे को योजना संख्या 1/2007–08 में ₹16794 (₹150000 – ₹133206) का अधिक भुगतान किया गया साथ ही योजना संख्या 2/07–08 में दिए गए अग्रिम ₹107500 के विरूद्ध कृत्य कार्य शून्य है।

अतः कुल ₹1,24,294 (₹16,794+₹1,07,500) श्री देवेन्द्र पांडे से वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाय।

22. **सरकारी अनुदान के तहत योजना की स्थितिः–**

राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के तहत 20 योजनाएँ नाली निर्माण हेतु इसमें से तीन योजना कियान्वित नहीं की गई एवं 21 योजनाएँ सड़क निर्माण हेतु ली गयी थी जिसका विवरण निम्न हैः–

कमांक	विवरण	योजना सं0 / वर्ष	पूर्ण	अपूर्ण	अग्रिम राशि (₹में)
1	नाली निर्माण	20–03–17	10	7	4,82,948
2	सड़क निर्माण	21	21	–	–

(परिशिष्ट VII में संदर्भित)

नाली निर्माण के तहत 20 योजनाओं में से यो0 सं0 3/2008–09, 4/2008–09 एवं 5/2009–10 योजनाओं का कियान्वयन किया गया था या नहीं, यह ज्ञात नहीं हो सका। इससे संबंधित संचिका, मापी पुस्तक एवं अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध न हो सका था। अपूर्ण योजनाओं की स्थिति इस प्रकार हैः–

कमांक	योजना सं0 एवं वर्ष	प्रा0 राशि	मापी के अनुसार राशि (₹में)	अग्रिम राशि	संवेदक का नाम
1	01/2008–09	1,30,100	72,042	50,000	श्री विश्वनाथ यादव
2	02/2008–09	1,34,000	88,429	78,526	श्री अमरेन्द्र कुमार
3	06/2008–09	1,20,650	94,616	44,000	श्री अमरेन्द्र कुमार
4	07/2008–09	1,31,900	1,31,900	1,15,433	श्री अमरेन्द्र कुमार
5	09/2008–09	1,43,900	39,469	34,989	श्री अमरेन्द्र कुमार
6	10/2008–09	1,45,900	94,380	75,000	श्री अमरेन्द्र कुमार
7	14/2008–09	1,30,000	1,03,000	85,000	श्री संजय कुमार सिंह
			योग –	**4,82,948**	

अपूर्ण योजनाओं के तहत ₹50,000 श्री विश्वनाथ यादव को, ₹3,47,948श्री अमरेन्द्र कुमार को एवं ₹85,000 श्री संजय कुमार सिंह के यहाँ अग्रिम रूप में दिया गया था।

अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करवाने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।

23. **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनाः–**

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत दो योजनाओं का कियान्वयन किया गया था जिसका ब्यौरा निम्नवत् हैः–

कमांक	योजना सं0 एवं वर्ष	विवरण	प्रा0 राशि (₹में)	मापी	अग्रिम
1	01/2008–09	ईट सोलिंग	70,100	50130	32,500
2	02/2008–09	नाली निर्माण	90,000	54116	67,500
		योग –	**1,60,100**	**1,04,246**	**1,00,000**

(114)

(परिशिष्ट VIII में संदर्भित)

उपरोक्त कार्यो हेतु श्री निरंजन सिंह को ₹100,000 अग्रिम दिया गया था। कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया था। कार्य पूर्ण करवाने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाए।

24. वर्ष 2006–07 की योजना जो अभीतक अपूर्ण है:–

विभिन्न मदों से वर्ष 2006–07 की योजनाएँ जो अभीतक पूर्ण न हो पाये है, का विवरण नीचे दिया जाता है:–

कमांक	यो0 सं0/ वर्ष	विवरण	प्रा0 राशि	मापी के अनुसार	अग्रिम	अभिकर्त्ता का नाम
1	05/2006–07	पी0सी0सी0 रोड	5,88,000	5,32,266	75,000	श्री शिव शरण प्रसाद
2	08/2006–07	पी0सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण	9,54,600	4,73,594	1,30,000	श्री नरेश प्रसाद
3	10/2006–07	पी0सी0सी0 रोड	10,23,000	7,87,240	2,60,000	श्री देवेन्द्र पांडेय
4	11/2006–07	पी0सी0सी0 रोड	4,72,500	3,34,486	1,38,484	श्री नरेश प्र0
5	14/2006–07	रोड एवं नाली निर्माण	4,67,800	3,51,460	1,45,000	श्री देवेन्द्र पांडेय
				कुल योग–	**7,48,434**	

(परिशिष्ट IX में संदर्भित)

उपरोक्त योजनाओं के तहत ₹7,48,434 अग्रिम दिया गया था। कार्य पूर्ण न होने के कारण अग्रिम लंबित है। कार्य नहीं पुरा होने का कारण अंकेक्षण में नहीं बताया गया।

एकरारनामा प्रपत्र की कंडिका 7 में अंकित है कि योजना अपूर्ण छोड़ देने पर सूद सहित व्यय की राशि वसूलनीय अतः उपरोक्त ₹7,48,434 को भुगतान हेतु उत्तर दायी व्यक्तियों एवं अभिकत्ताओं से वसूली की जाय।

25. बी0आर0जी0एफ0 योजना:–

वर्ष 2008–09 में बी0आर0जी0एफ0 योजना अन्तर्गत कुल छह योजनाएँ ली गयी थी जिसमें से चार योजनाएँ पूर्ण हुई तथा दो योजनाएँ अभीतक अपूर्ण थी। (परिशिष्ट X में संदर्भित है) अपूर्ण योजनाओं की विवरणी निम्नवत् है।

(1) योजना सं0 01/2008–09 वार्ड 3 में दलित मुहल्ला चक पर सामुदायिक भवन एवं चाहर दीवारी निर्माण अभिकर्ता श्री विश्वनाथ यादव प्राक्कलित राशि ₹4,50,000।

(2) योजना सं0 2/2008–09 वार्ड 14 में मुहल्ला पलकिया फतेहपुर में सामुदायिक भवन एवं चारदीवारी निर्माण अभिकर्ता – श्री संजय कुमार सिंह प्राक्कलित राशि – ₹4,50,000 दोनों योजनाओं में कमशः ₹2,07,263 एवं ₹1,98,862 के कृत्य कार्य के विरूद्ध ₹1,96,176 एवं ₹1,75,000 का भुगतान किया गया था। तिथि 13.05.2010 के संचिका के माध्यम से संवेदक को एक सप्ताह के अन्दर कार्य करवाने का आदेश दिया गया था। लेकिन संचिका के अनुसार अबतक कार्य की प्रगति शून्य है।

अतः कार्य को पूर्ण करवाने हेतु शीघ्र कार्रवाई किया जाय।

26. डी0पी0 आर0 (Detailed Project report) हेतु भुगतान:–

स्टार वे ईंटर नेशनल फाउन्डेशन पटना नागेश्वर गृह संख्या 25 के ₹70,000 का भुगतान डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु दिया गया था उक्त राशि श्री कमलेश सिंह ने प्राप्त किया था। भुगतान का ब्यौरा निम्नवत है:–

(i)	चेक संख्या 573699 दिनांक 14.02.07 (बैंकड्राफ्ट – 80833810 दिनांक 15.02.07)	₹ 20,000
(ii)	चेक संख्या 0842301 दिनांक 28.02.07	₹ 50,000
	कुल–	₹ 70,000

लेकिन अभीतक (दिनांक 22.02.11) डी0पी0आर0 तैयार कर नगर पंचायत शेरघाटी को नहीं दिया गया था। तथा इसका कारण अंकेक्षण में नहीं बताया गया।

अतः ₹70,000 संस्था से या संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति से वसूलने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाय।

27. **टैक्टर खरीद के भुगतान में से वैट की कटौती नहीं:–**

दुर्गा एग्रो इन्डस्ट्रीज गया फर्म से मेसी फरगुसन टैक्टर की खरीद की गयी थी। जिसे भंडार पंजी पृ0 127 में अंकित कर दिया गया था। फर्म के भुगतान का ब्यौरा निम्नबत है:–

चेक संख्या 084233 दिनांक 26.12.07

(i)	ट्रैक्टर	₹ 3,60,092.00
(ii)	टेलर	₹ 42,000.00
	कुल –	₹ 4,02,092.00

टैक्टर एवं टेलर का निबंधन नहीं कराया गया था जिसे कराना अनिवार्य है। वैट की कटौती नहीं की गयी थी। वैट की राशि ₹4,02,092 का 4% = ₹16,083.68 या ₹16,084/– कटौती नहीं करने के लिए जिम्मेवार व्यकितयों से राशि वसूल की जाय एवं राज्य सरकार के वाणिज्य कर विभाग के खाते में जमा करवाया जाय।

28. **(i) डस्टवीन एवं हैंड ट्राली का कय:–**

मेसर्स आजाद सेल्स, शशि कम्पलेक्स, एक्जवीशन रोड, पटना को चेक संख्या 084269 दिनांक 03.11.09 द्वारा 40 डस्टवीन एवं 5 हैंड ट्राली का कय कर ₹3,76,080 का भुगतान किया गया था। विपत्र की कुल राशि ₹3,91,750 में से 4% वैट की कटौती कर ₹15,670 को अवबतक (22.02.11) संबंधित विभाग में जमा नहीं किया गया था जिसे संबंधित विभाग में अविलम्ब जमा किया जाय।

संचिका के अनुसार उपरोक्त सामग्रियो हेतु चार निविदा प्राप्त हुए थे। तुलनात्मक विवरणी लेखा परीक्षा में उपस्थापित नहीं किया गया था। तुलनात्मक विवरणी के अभाव में अधिकतम दर, न्यूनतम दर ज्ञात नहीं हो सका। जिसे अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय। तुलनात्मक विवरणी लंबित रहने तक किये गये भुगतान की राशि ₹3,76,080 को अंकेक्षण आपत्ति में रखी जाती है।

(ii) गया हार्डवेयर, गया द्वारा एक हाइड्रोक्लीक टीपर की आपूर्त्ति की गयी थी। जिसका भुगतान चेक संख्या 084281 दिनांक 15.02.10 द्वारा ₹2,43,500 किया गया था।

संचिका के अनुसार कय से नियमानुसार वैट की कटौती नहीं की गयी थी तथा भुगतान निम्नवत की गयी थी:–

वैट रहित राशि	₹2,16,444.44
वैट 12.5:	₹27,055.66
	₹2,43,500.00

112

बिहार मूल्य वर्धित कर नियमावली 2007 के नियम 28 के अनुसार आपूर्त्ति कर्त्ता द्वारा फार्म C-III जमा करने का प्रमाण नहीं मिला। इसके बावजूद वैट का भुगतान कर दिया गया।

अतः वैट की राशि 27,056 की वसूली संबंधित जिम्मेवार व्यक्तियों से कर सरकार के उचित शीर्ष में जमा करवाया जाय।

29. वैट एवं स्वामित्व की राशियों को संबंधित कोष में जमा नहीं किया गया था:–

वैट एवं स्वामित्व के लिए अलग से रोकड़बही संधारित किया गया था। रोकड़बही से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित वैट एवं स्वामित्व की राशियॉं राज्य सरकार के संचित निधि के संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा नहीं की गयी थी।

कमांक	दिनांक	वैट की राशि (₹में)	स्वामित्व की राशि (₹में)	मद का नाम
1	31.03.10 तक	₹73,700.25	₹35,822.10	पी0एल0 लेखा
2	31.03.10 तक	₹23,982.00	₹32,789.00	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत
3	31.03.10 तक	₹12,853.00	–	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
	कुल राशि–	**₹1,10,535.25**	**₹68,611.10**	

अतः वैट के रूप में ₹1,10,535.25 एवं स्वामित्व के रूप में ₹68,611.10 को संबंधित राजस्व शीर्ष में अविलम्ब जमा किया जाय।

29. (i) विपत्र से कटौती की गयी वैट, आयकर एवं स्वामित्व की राशि को राज्यकीय कोष में जमा नहीं किया गया था :–

अंकेक्षण के कम में ज्ञात हुआ कि वैट आयकर एवं स्वामित्व की राशि विपत्र से कटौती की गयी थी। इसे पंजी/रोकड़बही में अंकित नहीं किया गया था। वैट के रूप में ₹1,34,037.00 आयकर के रूप में ₹73,724.00 एवं स्वामित्व के रूप में ₹72,620 को संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा नहीं किया गया था। इसे परिशिष्ट XI में दर्शाया गया है।

अतः वैट की राशि ₹1,34,037.00, आयकर की राशि ₹73,624.00 एवं स्वामित्व की राशि ₹72,620 को संबंधित विभागों में या संबंधित राजस्व शीर्षो में जमा किया जाय।

30. पेंशन निधि की वित्तीय स्थिति:–

पेंशन निधि का वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 की वित्तीय स्थिति निम्न है:–

वर्ष – 2008–09

कम सं0	विवरण	वर्ष 2008–09 (₹में)	
1	प्रारंभिक शेष :	शून्य	
2	**अंतरित राशि**	1000.00	श्री मदन सिंह प्रधान लिपिक द्वारा
3	योग	1000.00	
4	व्यय	शून्य	
5	संवरण शेषः	1000.00	

(111)

वर्ष – 2009–10

विवरण	वर्ष 2009–10 (₹में)	रकम ₹ में
प्रारंभिक शेषः–	1000.00	1000.00
श्री मदन सिंह द्वारा जमा अंशदान	1,42,526.00	₹2,13,365.00
श्री मोहन वास खोर द्वारा अंशदान	30,425.00	
श्री दुर्गा दास द्वारा अंशदान	40,414.00	
	कुल	₹2,14,365.00
व्यय		
श्री मदन सिंह को भुगतान	85,980.00	
श्री दुर्गा दास	68,323.00	
कुल –		1,54,303.00
संवरण शेषः–		60,062
बैंक खाता सं0 306994946328 भारतीय स्टेट बैंक शेरघाटी		67,650

पेंशन निधि की वित्तीय स्थिति संतोषप्रद नहीं है।

31. अग्रिमः–

बिहार नगरपालिका नियमावली 1928 के नियम 74 के आलोक में विहित प्रपत्र XV में अग्रिम पंजी संधारण करना चाहिए था। लेकिन अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अग्रिम पंजी के अभाव में दिनांक 31.03.07 तक बकाया अग्रिम, प्रदत्त अग्रिम समायोजित अग्रिम एंव बकाया अग्रिम ज्ञात नहीं हो सका। बकाया अग्रिम पंजी बिहार नगरपालिका नियमावली, 1928 के नियम 78 के आलोक में संधारण करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया बकाया अग्रिम पंजी के अभाव में 31.03.10 तक का बकाया अग्रिम ज्ञात नहीं हो सका। नियमानुसार प्रथम अग्रिम का समायोजन के पश्चात् ही द्वितीय अग्रिम का भुगतान करना चाहिए था।

अग्रिम समायोजन में तत्परता एंव नियमिता का पालन नहीं किया गया था। तथापि पी0एल0 लेखा रोकड़बही के अनुसार ₹66,25,939 अग्रिम रूप में दिया गया था जिसका समायोजन नहीं किया गया था जिसे परिशिष्ट XII में दर्शाया गया है।

अग्रिम पंजी का संधारण किया जाय जिसमें अग्रिम प्राप्त कर्त्ता का नाम असमायोजित राशि, प्रदत्त राशि, समायोजित राशि एवं असमायोजित राशि वर्णित हो।

उपरोक्त असमायोजित अग्रिम राशि को यथाशीघ्र समायोजित/ वसूली करने का प्रभावी कार्रवाई करें।

32. अंकेक्षण के परिणाम :–

अंकेक्षण का परिणाम निम्नानुसार हैं :–

(i)	वसूली हेतु सुझाव की राशि	₹33,91,852.00
(ii)	अंकेक्षण आपत्ति में रखी गयी राशि	₹16,82,009.00
(iii)	अंकेक्षण क्रम में जमा की गयी राशि	₹300.00

(पिरिशिष्ट – XIII में संदर्भित।)

(110)

33. **कार्यकारिणी से विचार विमर्शः–**

मुख्य अंकेक्षण आपत्तियों के संबंध में नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अंकेक्षण के कम में विचार–विमर्श किया गया था।

34. **सामान्य अभ्युक्ति :–**

नगर पंचायत शेरघाटी के लेखाओं का संधारण संतोषप्रद नहीं था। उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। नगर पंचायत मुख्य अभिलेखों एवं पंजियों का संधारण नहीं किया गया था यथा अग्रिम पंजी, गृहकर मांग एवं वसूली पजी, डिपोजिट रजिस्टर, समायोजन पंजी, अनुदान पंजी एवं सम्पूर्ण मांग का प्रगति प्रतिवेदन इत्यादि मुख्य अभिलेखों एवं पंजियों को निश्चित रूप से संधारण करेगें। नगरपालिका करों के पुनर्निर्धारण हेतु प्रभावी उपाय की आवश्यकता है।

बी0के0 सिंह
आई0पी0ए0आई0

संoएलoएo/अधिमार/ 14232/228 दिनांकः- 07/09/2011

नगर कार्यपालक पदाधिकारी, शेरघाटी को अग्रसारित करते हुए उनसे अनुरोध है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन को नगर पंचायत की बैठक में रखेगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के तीन माह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करेगे।

ह०

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/अधिमार

ज्ञापांकः- एल0ए0/अधिमार / 14232/229 दिनांक- 07/09/2011

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, गया, बिहार
3. स0ले0प0अ0/अधिमार

पंकज
7/9/11

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी/अधिमार

A.R. No – 147/2011-12 (168)
N. Panchayat, Sherghati

परिशिष्ट I

जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित किया गया को दर्शाया गया है।

(कंडिका 2 क में संदर्भित)

(1) लेखापाल रोकड़ बही
(2) रोकड़पाल रोकड़ बही
(3) एच. फार्म रसीद
(4) दैनिक संग्रह पंजी
(5) विविध रसीद
(6) रसीद का भंडार पंजी
(7) वेतन भुगतान पंजी
(8) अभिश्रव
(9) दुकान किराया पंजी
(10) बंदोबस्ती संचिका एवं पंजी
(11) मापी पुस्त
(12) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का रोकड़बही एवं पासबुक / बैंक स्टेटमेंट
(13) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना रोकड़बही एवं पासबुक / बैंक स्टेटमेंट
(14) पेन्शन लेखा
(15) मस्टर रौल अभिश्रव

परिशिष्ट I अ

जिन अभिलेखों एवं पंजियों को न तो अंकेक्षण उपस्थापित किया गया था और न ही संधारित किया गया था को दर्शाया गया है।

(कंडिका 2.7 में संदर्भित)

(1) बजट
(2) अनुदान पंजी
(3) अग्रिम पंजी
(4) आय का सार पंजी (Abstract register of receipt)
(5) व्यय का सार पंजी (Abstract register of expenditure)
(6) डिपोजिट रजिस्टर
(7) कोषागार पासबुक
(8) मांग एवं वसूली पंजी गृहादि कर का
(9) सम्पूर्ण मांग का प्रगति प्रतिवेदन
(10) अनुदान की उपयोगिता प्रमाणपत्र
(11) बकाया अग्रिम का पंजी (Register of outstanding advances)
(12) सम्पत्ति पंजी
(13) सेवा पुस्तिका
(14) बकाया सूची गृहादि कर का (Arrear list of holding tax etc)
(15) वार्षिक लेखा
(16) नामांतरण संचिका एवं पंजी
(17) स्वीकृत नक्शा से संबंधित संचिका एवं पंजी
(18) मोबाइल टावर से संबंधित संचिका एवं पंजी
(19) होर्डिंग से संबंधित संचिका एवं पंजी
(20) आंतरिक भवन मूल्यांकन पंजी एवं संचिका
21 राष्ट्रीय गंदी बस्ती कार्यक्रम (N.S.D.P)
22. निवेश पंजी
23. कर भविष्य निधि लेखा

परिशिष्ट I ब

(106)

कैलिका ५ की ... समिति
2007 - 2008 Income

(0)	O.B —	37,04,930=51
(1)	Election —	40612=00
(2)	e.t.c. —	27440=00
(3)	Shop rent —	657798=00
(4)	Bus stand —	3,43,693=00
(5)	Latrine settlet —	3000=00
(6)	Parking —	241500=00
(7)	H. tax —	17977=00
(8)	L. tax —	3162=00
(9)	H. cess —	8989=50
(10)	E. cess —	7190=60
(11)	Air tanker —	240000=00
(12)	T.B —	500=00
(13)	Mina Market —	3000=00
(14)	Shop form —	34800=00
(15)	Rik. Lov —	2800=00
(16)	Rik. pr —	900=00
(17)	Stamp duty —	1,20250=00
(18)	12 B Finance —	8,68,140=00
(19)	~~M.L.A. Fund~~ Govt. grant for Chapakal —	1471200=00
(20)	Pat. grt —	439500=00

कुल — 45,32,452=10

Madan Singh
28.2.2009.